3

शिक्षा का अधिकार अधिनियम
एक साहित्यिक समीक्षा

प्रदीप कुमार*

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे समाज में ज्ञान, क्षमताएँ, कुशलताएँ एवं मूल्यों का संचार होता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का साधन है तथा प्राथमिक शिक्षा इसकी आधारशिला है। आज प्रारंभिक शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ही शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु व्यवस्था की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा भारत में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा क्रमिक रूप से अनेक प्रयासों के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसी के साथ भारत ऐसे देशों में सम्मिलित हो गया है जिनमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के 8 वर्षों के उपरांत देखें तो प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, किंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के यथार्थ रूप में अनुपालन हेतु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी सामने आ रही हैं। इस लेख में ऐसी ही कुछ समस्याओं तथा उनके संभावित समाधानों पर प्रकाश डाला गया है।

शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का साधन माना गया है तथा प्राथमिक शिक्षा प्रगति की इस प्रक्रिया की आधारशिला है। विश्व के विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (Universalisation of Education) के प्रयास किए जा रहे हैं तथा गत वर्षों में शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक वैश्विक लक्ष्य के रूप में सामने आया है।

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights 1948) के अनुच्छेद 26 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप मे मानते हुए लिखा गया — "सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक स्तर पर नि:शुल्क होनी चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।"

(संयुक्त राष्ट्र, 2003)

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संभल, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

जोमटीन में सभी के लिए शिक्षा पर (1990) तथा डकार (2000) में हुए वैश्विक सम्मेलनों ने शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया तथा इसे एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में प्रस्तुत किया।

शिक्षा की महत्ता समझते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दशक (2003–2012) को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया तथा दशक (2005–2014) को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं संपोषणीय विकास दशक के रूप में मनाया गया (कुमार, 2014)। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसी दिशा में घोषित किए गए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millenium Development Goals) के अंतर्गत लक्ष्य–2 में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया

भारत में प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षाधिकार अधिनियम का प्रादुर्भाव

आधुनिक प्रारंभिक शिक्षा का विचार शिक्षा की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। भारत में प्राचीन समय में शिक्षा वर्ण व्यवस्था-आधारित थी जो सभी के लिए सुलभ नहीं थी और समाज का एक बड़ा भाग इससे पूर्ण रूप से वंचित था।

विश्व में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सबसे पहले स्वीडन में वर्ष 1842 में लागू की गयी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1852 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया। नॉर्वे में 1860, इंग्लैंड में 1870, तथा 1905 में पुर्तगाल, हंगरी एवं स्विट्ज़रलैंड में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया।

भारत में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1882 में हंटर आयोग के सामने अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात् सर इब्राहिम रहमतुल्ला और सर चिमनलाल शीतवाड ने 1906 में तत्कालीन बम्बई सरकार को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं नि:शुल्क करने का प्रस्ताव दिया। कुछ भारतीय रियासतों में भी प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु प्रयास किए गए जिनमें बडौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड का प्रयास प्रमुख था। इन्होंने 1906 में बडौदा राज्य के अमरेली तालुका के नौगाँव ग्राम में प्रारंभिक शिक्षा को नि:शुल्क व अनिवार्य कर दिया।

बडौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड के इस कार्य से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पुनः इसी प्रस्ताव को गोखले द्वारा विधेयक के तौर पर 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में लाया गया किंतु यह पास नहीं हो सका।

इस प्रयास के असफल होने के बावजूद देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ी। 1918 में विट्ठलभाई पटेल के प्रयासों से बम्बई सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। यह भारत में अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की दिशा में किया गया सर्वप्रथम सफल प्रयास था। इसके बाद क्रमिक रूप से अन्य प्रांतीय सरकारों ने भी प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया जैसे 1919 में बिहार ने, 1920 में मध्य प्रदेश ने, 1926 में असम ने, 1930 में बंगाल ने तथा 1931 में मैसूरु राज्य ने प्रारंभिक शिक्षा को

अनिवार्य कर दिया। 1937 के बाद सभी प्रांतीय सरकारों के विघटन के परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त हो गयी।

1937 में गांधीजी ने डॉ. जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नयी तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे बुनियादी तालीम, वर्धा शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा भी कहा गया। इसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों हेतु नि:शुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी और इसे किसी शिल्प या उद्योग से जोड़ा गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माता एवं दूरदृष्टा डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जो विश्व के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे, ने भविष्य हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह प्रावधान किया कि 'संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष के न हो जाएँ।' यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् किया गया प्रथम संवैधानिक प्रयास था। शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए इसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया।t

कोठारी आयोग (1964–66) ने सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा नीति की सिफारिश की। 1986 की भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि 'संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुपालन में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे।' परिणामस्वरूप 1 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत प्राथमिक एवं 3 किलोमीटर के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्य के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के सुधार हेतु 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना प्रस्तुत की गयी।

1992–93 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे बाल शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1993 में 'उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश' मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि 'शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग है।' इस सबके परिणामस्वरूप वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुपालन में, अनुच्छेद 21 में किए गए 86वें संशोधन द्वारा भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो अगस्त 2009 में संशोधन के अनेक चरणों द्वारा अस्तित्व में आकर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत विश्व के उन चुने हुए देशों में सम्मिलित हो गया, जिनमें बच्चों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु संवैधानिक उपबंध किए गए हैं।

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए अन्य अनेक उल्लेखनीय सफल प्रयास भी किए गए। महिला समाख्या (1979), आपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987), डी.पी.ई.पी. (1994), नेशनल प्रोगाम ऑफ़

न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन (National Programme of Nutritional Support to Primary Education) या मिड-डे-मील (1995), सर्व शिक्षा अभियान (2001), तथा बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना, जैसी अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाई गईं, जिनसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा नामांकन वृद्धि हेतु सफलता मिली।

"भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2003–2007) में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया, जो 5 बिंदुओं द्वारा निर्देशित था—सार्वभौमिक पहुँच (Access), सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक विद्यालय ठहराव, सार्वभौमिक उपलब्धियाँ तथा सार्वभौमिक समानता।"

(कुमार, 2011)

"11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में प्राथमिक शिक्षा को शैक्षिक तंत्र की आधारशिला मानते हुए इसकी क्षमता तथा नामांकन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। इस योजना की अवधि में शिक्षा पर हुए कुल व्यय का लगभग 4.3 प्रतिशत व्यय प्राथमिक शिक्षा पर किया गया।"

(योजना आयोग, 2011)

"वर्तमान में भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लक्ष्यों में आरंभिक वर्षों में बच्चों का नामांकन करना, विद्यालय छोड़ने की दरों में कमी लाना और अधिगम परिणामों को बेहतर बनाना सम्मिलित है। प्रस्तुत सारणी में भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है।"

(योजना आयोग, 2013)

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित लक्ष्य
(योजना आयोग, 2013)

क्रम संख्या	12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य
1.	प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अभिप्राय और भावना को ध्यान में रखते हुए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना।
2.	प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति में सुधार करना और स्कूल छोड़ने की दर को 10 प्रतिशत से नीचे लाना तथा सभी सामाजिक-आर्थिक और अल्पसंख्यक वर्गों और सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर पर स्कूल से वंचित बच्चों का प्रतिशत घटाकर 2 प्रतिशत के नीचे लाना।
3.	शिक्षा के उच्च स्तरों पर नामांकन बढ़ाना और कुल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना।
4.	समग्र साक्षरता दर में 80 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना और साक्षरता में जेंडर अंतर को 10 प्रतिशत से कम करना।
5.	प्राथमिक विद्यालयों में सभी छात्रों, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को कम से कम एक वर्ष की अच्छे सहभाग युक्त/अच्छे संसाधन युक्त प्री-स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना।

6.	स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर मापित, निगरानी और स्वतंत्र रूप से सूचित अधिगम परिणामों में सुधार करना तथा यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे पाठन और संख्यात्मक कौशल में दक्षता प्राप्त कर लें एवं कक्षा 5 तक विवेचनात्मक चिंतन, व्यक्त करने और समस्या हल करने का कौशल प्राप्त कर लें।

उपरोक्त अनेक प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में अनेक उपलब्धियाँ भी रही हैं, तथापि अनेक कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा बने हुए हैं जैसे—

संसाधनों की अनुपलब्धता

प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है। प्राथमिक शिक्षा के आँकड़ों के अनुसार 54.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है, केवल 59.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान हैं, मात्र 83.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय हैं, केवल 44.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बिजली है। गैर सरकारी संगठन प्रथम की वार्षिक रिपोर्ट 'असर' के अनुसार मात्र 61.90 प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं हेतु उपलब्ध और प्रयोग करने लायक शौचालय हैं (न्यूपा, 2015)। अनेक विद्यालय आज भी किराये के भवनों में चल रहे हैं।

राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी

राज्य सरकारें शिक्षकों की नियुक्तियाँ, उनके वेतन भत्तों में वृद्धि और पदोन्नति जैसे मुद्दों को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उपयोग करती हैं। अकसर देखा जाता है कि प्रदेशों में एक सरकार आते ही पिछली सरकार के कार्यकाल की नियुक्तियों को रद्द करने का प्रयास करती है, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बहुत विवादित रही है और आज भी दर्जनों याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इससे विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझते रहते हैं।

अधिक शिक्षक-छात्र अनुपात

गैर-सरकारी संगठन प्रथम की वार्षिक रिपोर्ट 'असर' के मुताबिक संपूर्ण भारत में छात्र-शिक्षक अनुपात 53 का है जो शिक्षाधिकार अधिनियम के प्रस्तावित मानक 30 प्रतिशत से बहुत अधिक है (असर, 2016)।

शिक्षक प्रशिक्षण की निम्न दशा

न्यूपा की एलिमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड (Elementary Education Report Card) 2014–2015 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक प्रशिक्षित शिक्षक 85 प्रतिशत से भी कम हैं। इनमें से भी कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र से समायोजित शिक्षकों की बड़ी संख्या है जिनकी प्रशिक्षण योग्यता तथा नियुक्ति से संबंधित दर्जनों याचिकाएँ न्यायालयों में लंबित हैं।

प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का निम्न स्तर

हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षाधिकार अधिनियम के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, किंतु इसी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी कम हुई है। 'असर' रिपोर्ट 2016 के अनुसार कक्षा 5 में औसतन 26 प्रतिशत बच्चे (सरकारी और निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चे) ही भाग के सवाल कर सकते हैं।

उच्च शाला त्याग दर

यूनिसेफ़ के अनुसार 80 करोड़ भारतीय बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। ह्यूमन राइट वॉच, 2014 विद्यालय छोड़ने की दर अब भी प्राथमिक स्तर पर 16 प्रतिशत और उच्चे प्राथमिक स्तर पर 32 प्रतिशत है।

ऐसे अनेक कारणों से प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही और शिक्षाधिकार अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं।

उपरोक्त अनेक समस्याओं के बावजूद भी सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की दिशा में शिक्षाधिकार अधिनियम अब तक के सभी प्रयासों में सबसे अधिक व्यापक और सुसंगठित प्रयास है।

शिक्षाधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान

शिक्षाधिकार अधिनियम सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रयास है जिसमें विद्यालयों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, कर्तव्यों एवं दायित्वों के संदर्भ में निर्देश हैं। इसके प्रमुख नियम हैं (भारत सरकार, 2009)—

- भारत के सभी 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। (जम्मू-कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं है।)
- किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना न तो फेल किया जाएगा, न ही किसी कक्षा में रोका जाएगा।
- 6 वर्ष से बड़ी आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा उसे कक्षा के दूसरे बच्चों के समकक्ष लाने के लिए यदि आवश्यक है, तो विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रवेश हेतु आयु की गणना करने हेतु विनिर्दिष्ट जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा, किंतु जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विद्यालयों को निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात पूर्ण करना होगा।
- ऐसे विद्यालयों को आधारभूत संरचना हेतु निर्धारित सभी मानक पूरे करने होंगे अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु तथा पूर्व से भी कार्यरत शिक्षकों को पूर्व निर्धारित शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता अर्जित करनी आवश्यक होगी।
- सभी निजी विद्यालय समाज के दुर्बल तथा वंचित वर्गों के बच्चों को उनकी 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देंगे तथा इस कोटे की कोई सीट खाली नहीं रखी जाएगी। इस कोटे में प्रवेश पाए सभी बच्चों को सभी मामलों में अन्य बच्चों के बराबर माना जाएगा तथा कोई विभेद नहीं किया जाएगा।
- निजी विद्यालयों के अतिरिक्त सभी विद्यालयों का प्रबंधन, विद्यालय प्रबंध समिति (School Management Committee) द्वारा किया जाएगा जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य, अभिभावक होंगे।

शिक्षाधिकार अधिनियम से संबंधित कुछ चुनौतियाँ

शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा के नामांकन में वृद्धि, अभिभावकों की विद्यालय प्रशासन में सहभागिता, बाल अधिकारों के संरक्षण आदि के विषय में नियम बनाए गए हैं परंतु फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चिंतन के विषय हैं और जिन पर शिक्षाविदों एवं राज्य सरकारों द्वारा आपत्तियाँ जताई गई हैं। उदाहरण के लिए, आज भी निजी विद्यालयों द्वारा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिए लगातार मनमानी की जा रही है और प्रवेश नहीं दिया जाता। (*अमर उजाला*, 2016)

इनमें से प्रमुख मुद्दे निम्न हैं—

- निजी विद्यालयों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति व इसका पर्यवेक्षण— दुर्बल वर्गों हेतु 25 प्रतिशत सीटों पर दिए गए प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति का तरीका क्या होगा तथा इस प्रतिपूर्ति प्रणाली का पर्यवेक्षण सरकार द्वारा कैसे किया जाएगा? यदि इस प्रकार प्रवेश लिए गए बच्चों को विद्यालय बदलने की आवश्यकता हुई तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ऐसे कई प्रश्न अभी भी ज्वलंत हैं।
- निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश— यह सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा है जो निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित एवं दुर्बल वर्गों के बच्चों के प्रवेश से संबंधित है। ऐसी सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे विद्यालय दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते। इसके लिए अभी भी सरकार के प्रयास जारी हैं और क्रमिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश पाए वंचित एवं दुर्बल वर्गों के बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जा रही है। निजी विद्यालय प्रारंभ से ही इस नियम के विरोध में हैं और निजी स्कूलों के द्वारा न्यायालयों में इन बच्चों को प्रवेश देने के विरुद्ध याचिकाएँ दायर की गयी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में लगभग 1,000 बच्चों को शिक्षाधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश नहीं दिया गया और जिला प्रशासन के निर्देशों की भी ये निजी विद्यालय अवहेलना करते हैं। ये मात्र एक जनपद के आँकड़े हैं, पूरे प्रदेश में ऐसे कई हज़ार मामले होते हैं (*टाइम्स ऑफ़ इण्डिया*, 2017)। अंततः उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस संदर्भ में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव माँगा गया है (*अमर उजाला*, 2017)।
- राज्य सरकारों के नियमों में विसंगतियाँ— विभिन्न राज्यों में शिक्षाधिकार अधिनियम हेतु बने नियमों में काफ़ी भिन्नता है। शिक्षाधिकार अधिनियम के राष्ट्रीय स्तर पर पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 23 राज्यों की समीक्षा रिपोर्ट जारी की, जिसमें आयोग ने इन राज्यों में नि:शुल्क शिक्षा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, नजदीकी विद्यालयों और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों जैसे बिंदुओं पर बड़ी विसंगतियाँ पायीं।

  उदाहरण के लिए, हरियाणा राज्य ने जो शिक्षाधिकार अधिनियम में नि:शुल्क शिक्षा को सम्मिलित किया है, परंतु पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री और ड्रेस को छोड़ दिया है जिनका उल्लेख

आर.टी.ई. एक्ट के सेक्शन 12 में है। कर्नाटक राज्य के नियमों में कक्षा 8 के लिए नजदीकी स्कूल की सीमा 5 किलोमीटर की पैदल दूरी मानी गयी है जबकि आर.टी.ई. एक्ट में यह 3 किलोमीटर है (संयोगिता, 2015)।

- प्रवासी बाल श्रमिकों के प्रवेश की समस्या— भूमिहीन प्रवासी श्रमिक रोज़गार की तलाश में समय-समय पर शहरी व कृषि क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों से गुजरात के कपास के खेतों में मज़दूरी करने हेतु श्रमिकों का पलायन होता है। अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ काम की तलाश में पलायन करते हैं (ह्यूमन राइट्स वॉच, 2014)।

  ऐसे मौसमी पलायन वाले श्रमिकों के बच्चों को कहाँ प्रवेश दिया जाएगा, यह विचारणीय है। स्कूल इनके प्रवेश नहीं चाहते क्योकि वे जानते हैं कि ये बच्चे कुछ समय बाद चले जाएँगे। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में किसी एक विशेष स्थान पर ही पिछड़े तथा वंचित बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी और निकटवर्ती विद्यालयों में ऐसे बच्चों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटा कम पड़ जाएगा (कुमार, 2014)।

- वंचित वर्गों के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया—वंचित समूह के छात्रों को निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने हेतु आधार क्या होगा? क्या इसके लिए लाटरी प्रणाली होगी? आय का आधार होगा अथवा मेरिट आधार पर प्रवेश होगा? इसके स्पष्ट प्रावधान के अभाव में निजी विद्यालय इस समूह के बच्चों का चयन अपनी सुविधानुसार करने का प्रयास करेंगे।

- निजी स्कूलों को फ़ीस वसूली से रोकने हेतु प्रावधान—स्पष्ट प्रावधानों व क्रियान्वयन के अभाव में निजी विद्यालयों में शुल्क के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मदों; जैसे—कम्प्यूटर, भवन, खेल, प्रयोगशाला, ड्रेस, स्टेशनरी, टूर आदि के नाम पर वसूली करने पर पूर्ण अंकुश आज भी नहीं लग सका है।

- प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता की चुनौती— पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना सरकारों के लिए एक दोहरी चुनौती बना हुआ है क्योंकि एक ओर बड़ी संख्या में पूर्व से काम कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं (जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र) जिन्हें प्रशिक्षण देना है जबकि दूसरी ओर अधिकांश रिक्त पड़े पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। राज्य सरकारें पहले ही राजनीतिक लाभ पाने के लिए कभी नियुक्तियों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करती हैं (जैसे उत्तर प्रदेश में 72,825 टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति को जान बूझकर कई साल तक लटकाया गया और ये नियुक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा हस्तक्षेप के बाद ही हुई) और कभी सरकारी और संवैधानिक निकायों को धोखे में रखकर नियम विरुद्ध नियुक्ति कर देती हैं (जैसे 2011 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्त किया गया जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया) प्रत्येक दशा में नुकसान प्राथमिक शिक्षा का ही होता है। ऐसे कारणों से नियुक्तियाँ

नहीं हो पातीं और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी लगातार बनी रहती है जिससे पठन-पाठन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

- आयु के अनुसार प्रवेश की समस्या—अधिनियम के खंड 4 के अनुसार 6 वर्ष से बड़े प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तथा किसी बच्चे को कम प्रदर्शन के कारण कक्षा में रोका, फेल या निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न हो जाए। अर्थात यदि 10 वर्ष का एक बालक विद्यालय आता है तो उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा-5 में प्रवेश देना होगा चाहे वह पिछली 4 कक्षाओं में न पढ़ा हो और यदि ऐसा छात्र यह जानता हो कि उसे फेल नहीं किया जा सकता है तो वह पढ़ाई के प्रति कम गंभीर रहेगा। इस नियम के कारण प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की दशा दयनीय हो गई है। इससे शिक्षकों के लिए एक नई चुनौती भी सामने आ गई है कि वे ऐसे बालकों को पढ़ा सकें जो कभी विद्यालय गए ही नहीं।
- शिक्षाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश पाए गए बच्चों से भेदभावपूर्ण व्यवहार—निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत प्रवेश पाए हुए बच्चों को आर.टी.ई. बच्चों के रूप में चिह्नित करके इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे ये बच्चे घुटन महसूस करते हैं और उनका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। (कुमार, 2016) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार दलित आदिवासी या अल्पसंख्यक बच्चों का यदि आर.टी.ई. के कारण प्रवेश हो भी जाता है तो कई बार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इससे ये बच्चे विद्यालय की मुख्यधारा में कभी शामिल नहीं हो पाते और उनमें विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। केवल निजी स्कूल ही नहीं सरकारी विद्यालयों के भी उदाहरण हैं जहाँ जातिगत भेदभाव के कारण दलित बच्चों की उपस्थिति घटी है। ये सब घटनाएँ शिक्षाधिकार अधिनियम के बाद की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। सरकारी शिक्षा विभागों के लचर निरीक्षण भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। यह कल्पना ही की जा सकती है कि शिक्षाधिकार अधिनियम के अभाव में ऐसे लोगों की शिक्षा का क्या होता। (ह्यूमन राइट्स वॉच, 2014)
- स्वैच्छिक एवं नवाचारी ग्रामीण विद्यालयों के बंद होने का संकट—अधिनियम के सेक्शन 18(1) में कहा गया है कि प्रत्येक निजी विद्यालय को मानक एवं नियम पूर्ण कर सरकार से इसका प्रमाण पत्र लेना होगा, न होने पर उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इससे अनेक निजी विद्यालयों की मान्यता खतरे में पड़ गई है। इनमें ऐसे निजी विद्यालय भी सम्मिलित हैं जो कम खर्च में, कम सुविधाओं में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आदिवासी तथा गरीब बच्चों या मलिन बस्तियों में स्वैच्छिक रूप से एवं सेवा भाव से सांध्य विद्यालयों या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में भी चलाए जाते हैं। बिना संपूर्ण परिसर के ये विद्यालय की परिभाषा पूर्ण नहीं कर पाएँगे तथा इनके शिक्षक, शिक्षक नहीं रह जाएँगे। इस प्रक्रिया से अनेक अच्छे, नवाचारी व सस्ते विद्यालय भी बंद होने

की स्थिति में आ गए हैं, जिनमें प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनसे लाभान्वित होने वाले बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार व कहाँ होगी यह विचारणीय प्रश्न है।

- बालकों को विद्यालय न भेजने पर प्रावधान— अधिनियम में ऐसे अभिभावकों के प्रति, जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, स्पष्ट व दंडात्मक प्रावधान नहीं हैं।
- विद्यालयों हेतु दोहरे मानक— अधिनियम में भवन, कार्य दिवसों, पुस्तकालय, पाठ्यसहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों हेतु मानक केवल निजी विद्यालयों हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, सरकारी विद्यालयों हेतु नहीं। जबकि इस अधिनियम के अनुसार बहुत से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक-छात्र अनुपात व अन्य मानकों को पूर्ण न करने के कारण आज की तिथि में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अनेक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

इस संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में कहा गया है— "अभी बड़ी संख्या में स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएँ नहीं हैं। मात्र 4.8 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही शिक्षाधिकार में निर्धारित सभी 9 सुविधाएँ हैं। कुल स्कूल के लगभग एक-तिहाई स्कूलों में इनमें से 7 तक सुविधाएँ हैं तथा लगभग 30 प्रतिशत स्कूलों में इनमें से 5 सुविधाएँ भी नहीं हैं।"

(योजना आयोग, 2013)

अर्थात् निजी विद्यालय जहाँ मानक पूर्ण न करने की दशा में बंद कर दिए जाएँगे, वहीं सरकारी विद्यालय चालू रह सकते हैं, किंतु इनमें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं होगा।

- शिक्षकों का गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलग्न होना— अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाने के अतिरिक्त मिड-डे-मील बनवाना, पत्रवाहक का कार्य, बी.एल.ओ. के रूप में मतदाता सूची पुनरीक्षण, बाल गणना, पोलियो अभियान, हाउसहोल्ड सर्वे, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों का सर्वे, पेंशन योजना का सत्यापन आदि अनेक कार्य पूर्ण करता है। गत वर्ष से विद्यालयों में शिक्षक छात्रों को फल तथा दूध बाँटना और कृमिनाशक दवाइयाँ पिलाना जैसे दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम के भोज में भोजन परोसने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी। ऐसे में न तो शिक्षक पठन-पाठन पर अपेक्षित ध्यान दे पाते हैं न ही प्रभावी शिक्षण की कल्पना की जा सकती है।

उपरोक्त कारणों से शिक्षाधिकार अधिनियम क्रियान्वयन में बाधाएँ आती हैं, जिन्हें दूर करके ही अधिनियम को प्रभावी बनाया जा सकता है।

शिक्षाधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु कुछ उपाय

शिक्षाधिकार अधिनियम निस्संदेह शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु एक सशक्त एवं उल्लेखनीय प्रयास है। इसमें कुछ परिवर्तनों एवं सुधारों के साथ आशा की जा सकती है कि यह और भी प्रभावी तरीके से 'सभी के लिए शिक्षा' के सपने को साकार कर पायेगा। इस हेतु कुछ संभावित सुझाव निम्न हो सकते हैं—

- 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग के लाभार्थियों की सही पहचान — अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हेतु वंचित एवं दुर्बल वर्गों के बच्चों की सही पहचान आवश्यक है, जिससे वास्तविक पात्रों को ही इसका लाभ मिले। सही पात्रों की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस हेतु आधार संख्या, बी.पी.एल. कार्ड और आर्थिक-सामाजिक जनगणना 2011 के आँकड़ों से सहायता ली जा सकती है।
- अधिनियम का प्रभावी अनुपालन — अधिनियम के प्रावधानों को सही रूप से देशभर में सफलतापूर्वक लागू कर पाना एक दुष्कर कार्य है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों, शहरी व ग्रामीण परिवेश में जनसंख्या घनत्व, विद्यालयों की संख्या तथा विवरण असमान है। आवागमन के साधनहीन स्थानों तथा दुर्गम स्थानों आदि पर संसाधनों एवं शिक्षकों के अभाव में अधिनियम को लागू करना एक चुनौती सिद्ध हो रहा है।

  इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के पूर्णरूपेण पालन हेतु इसका उल्लंघन करने पर शक्ति आदि की प्रक्रियाओं का संपूर्ण वैधानिक पालन व क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है।
- विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी नियम लागू करना — विभिन्न राज्यों द्वारा उनके सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या तथा उपलब्ध संसाधनों व रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उनके अपने कुछ विशेष नियम बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई तथा राज्यों द्वारा मॉडल नियम भी लागू किए गए।

  भारतीय राज्यों में सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक आदि दृष्टि से अत्यधिक विभिन्नताएँ हैं और एक जैसे नियम सभी स्थानों पर समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकते। अतः राज्यों को उनके नियम बनाने हेतु पर्याप्त अधिकार दिए जाएँ। राज्यों के शिक्षा विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, अभिभावकों व शिक्षकों एवं सामाजिक संस्थाओं का राज्यों द्वारा अपने आदर्श नियम बनाने में सहयोग लिए जाने की आवश्यकता है।
- अभिभावकों व ग्रामीणों में अधिनियम के प्रति जागरुकता बढ़ाना — अधिकांश कल्याणकारी नियम व संवैधानिक उपबंध पर्याप्त जन जागरुकता व सामाजिक सहभागिता के अभाव में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति से पीछे रह जाते हैं। कम साक्षर ग्रामीणों, महिलाओं, प्रवासी मज़दूरों, अभिभावकों आदि में शिक्षाधिकार अधिनियम के प्रति जागरुकता बढ़ाना तथा विद्यालय प्रबंध समिति में उनके कार्यों, दायित्वों तथा सहभागिता की जानकारी देना आदि कदम शिक्षाधिकार अधिनियम की पूर्ण सफलता हेतु आवश्यक है। इससे उनकी पूर्ण सहभागिता विद्यालय, शिक्षा व परिवेश के प्रति सुनिश्चित होगी तथा 'ग्राम शिक्षा समिति' से ग्राम प्रधानों का एकाधिकार समाप्त होगा और मिड-डे-मील जैसी महत्वपूर्ण योजना की भी सही निगरानी हो सकेगी।
- निजी क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करना — लोकोपकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता इनकी सफलता हेतु आवश्यक है। कठिन नियमों में शिथिलीकरण तथा

सहयोगोन्मुखी नीतियों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रयासों एवं गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को विद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र के हित में उपयोग करना अच्छा विकल्प होगा। स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में नामांकन, आर.टी.ई. नियमों के क्रियान्वयन, शैक्षिक संप्राप्ति की निगरानी प्रक्रिया आदि में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना कारगर होगा। टीच फ़ॉर इण्डिया, जैसे स्वैच्छिक कार्यक्रमों का विद्यालय के साथ मिलकर क्रियान्वयन, जैसे कार्य शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रभावी होंगे।

- प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्तीय आबंटन बढ़ाना — शिक्षाधिकार अधिनियम को समग्र रूप से लागू करने हेतु वित्तीय संसाधन की बड़ी आवश्यकता है। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 8–10 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना होगा।

स्वतंत्रता के उपरांत देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु गठित सभी शिक्षा आयोगों तथा समितियों द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत को शिक्षा पर व्यय करने की सिफ़ारिश की गई, किंतु आज भी वह 5 प्रतिशत से ऊपर किसी भी पंचवर्षीय योजना में व्यय नहीं हुआ है। वर्तमान (2016–2017) में यह जीडीपी का 2.9 प्रतिशत है। (*इंडिया टुडे*, 2017)

आज देश की बड़ी जनसंख्या हेतु प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षाधिकार अधिनियम के मानक पूर्ण न करने वाले विद्यालय बंद हो जाएँगे तथा इनसे प्रभावित बच्चों के लिए नए विद्यालयों को खोलना आवश्यक है। इस कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, कॉमनवेल्थ फंड, जनहित ट्रस्टों तथा बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ़्ट, गोदरेज आदि के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यों से भी धन जुटाया जा सकता है।

- पर्याप्त एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना — यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (UNESCO Institute for Statistics) और एजुकेशन फ़ॉर ऑल ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट (Education for All Global Monitoring Report) के द्वारा विश्व शिक्षक दिवस 2016 पर जारी एक पत्र के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व में सबको शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 27 करोड़ से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जिसमें से 3 करोड़ शिक्षक भारत में चाहिए। शिक्षकों का सही प्रकार से पदस्थापन और स्थानांतरण भी एक बड़ी चुनौती है। सामान्यतः नगरों और आस-पास के क्षेत्रों में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भी शिक्षकों की अधिकता होती है, जबकि दूर-दराज क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता होते हुए भी शिक्षकों की कमी होती है। इसके लिए पारदर्शी पदस्थापन और स्थानांतरण नियमों की आवश्यकता है उदाहरण के लिए, हरियाणा राज्य का ऑनलाइन पदस्थापन और स्थानांतरण मॉडल सफल माना जाता है।
- शिक्षकों हेतु समुचित पारिश्रमिक निर्धारण — वेतन एक ऐसा मुद्दा है, जो शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन से सीधे जुड़ा है। निजी तथा सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर है। निजी

विद्यालय भी अनेक सोसाइटी तथा ट्रस्ट एवं प्रबंधन द्वारा संचालित हैं तथा प्रत्येक का वेतन ढाँचा भिन्न है। कुछ ट्रस्ट के विद्यालय जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल सरकारी विद्यालय से भी अधिक वेतन देते हैं तथा अधिकांश निजी विद्यालय बहुत ही कम। इस विषय पर शिक्षाधिकार अधिनियम में प्रावधान नहीं किए गए हैं।

निजी विद्यालयों हेतु एक समान वेतन संरचना निर्धारण करना एक समुचित कदम होगा जिससे एक ओर यहाँ अनेक निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षकों का शोषण बंद होगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे।

- शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से विरत रखना— अधिनियम में शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों में न लगाने का प्रावधान किया गया है फिर भी इसका लगातार उल्लंघन करते हुए शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु बूथ लेवल अधिकारी (B.L.O.), बालगणना, पशुगणना, चुनाव ड्यूटी, जनगणना आदि अनेक गैर-शैक्षिक कार्यों में लगाया जा रहा है। कभी-कभी तो एक ही शिक्षक की ड्यूटी दो स्थानों पर एक साथ लगा दी जाती है। ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ एक या दो ही शिक्षक हैं और चुनाव ड्यूटी के समय दोनों की ड्यूटी होने के कारण स्कूल बंद करने पड़ते हैं। डाइस की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ष में शिक्षकों को मात्र 12, 16 और 22 दिन ही ऐसे कार्यों में लगाया जाता है पर वास्तविकता कुछ और ही है। दस्तावेज़ों में दर्ज़ नहीं हुए ऐसे कार्य वर्ष भर चलते रहते हैं और शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर दूसरे कामों में लगा दिए जाते हैं।

ऐसी स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालयों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने पड़े, परंतु स्थिति नहीं बदली है। यह परिस्थिति चिंताजनक है। इन प्रावधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

- शिक्षकों हेतु प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम — जे.पी. नाइक की पुस्तक शिक्षा आयोग और उसके बाद में कहा गया है कि शिक्षा के स्तर सबसे अधिक शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और योग्यता पर निर्भर करेंगे, इसलिए इनकी उन्नति के लिए संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। (प्रपन्न, 2016) शिक्षाधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के बढ़ते दायित्वों, सामाजिक आवश्यकताओं एवं बढ़ते नामांकन के साथ-साथ शिक्षण में गुणवत्ता लाने जैसी चुनौतियों का सामना करने में शिक्षकों को सफल बनाने हेतु प्रभावी, उन्नत तथा समकालीन पाठ्यक्रम वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो विशेषकर नवनियुक्त शिक्षकों को सेवा की चुनौतियों हेतु तैयार कर सकें। आज जबकि अधिकतर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) शिक्षकों और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसे प्रभावी प्रशिक्षण आसान नहीं हैं। इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भी पुनर्जीवित करना होगा और इनमें क्रियात्मक शोध को बढ़ावा देना होगा।
- संवैधानिक निकायों और विभागों का समन्वयन — शिक्षाधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण

आयोग और श्रम मंत्रालय आदि संवैधानिक और नियामक निकायों को एक साथ समन्वय में कार्य करने की आवश्यकता है। सामान कार्य के लिए इन सब निकायों को एक साथ एक छत के नीचे लाया जा सकता है। (संयोगिता 2015)

निष्कर्ष

शिक्षित जनसंख्या किसी भी समाज और देश की प्रगति का असंदिग्ध सूचक है। शिक्षा ही देश के लोगों के जीवन स्तर, रहन-सहन, बौद्धिकता, उनके देश के प्रति योगदान और देश के विकास को निर्धारित करती है। नागरिकों के स्वस्थ जीवन, शिक्षा तथा जीवन शैली से संबंधित मानव विकास सूचकांक के मामले में वर्ष 2016 में भारत 188 देशों के बीच 131वें स्थान पर है और भारत में औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष 11.7 हैं। सार्क देशों में श्रीलंका 73 और मालदीव 105 स्थान पर हैं और जो भारत से मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर आगे हैं। (जहाँ, 2016)

स्कूली या प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के शिक्षा तंत्र के सोपान की आधारशिला है, भारत का अपने निकटवर्ती विकासशील देशों से पिछड़ना इंगित करता है कि सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों में सुधार की आवश्यकता है। ये सही है कि भारत में बड़ी आबादी को शिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है, शिक्षाधिकार अधिनियम के रूप में जनसामान्य हेतु शिक्षा को सुलभ कराने की बड़ी पहल की गई है और भारत में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य बहुत हद तक इससे जुड़ा है।

दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 31.57 करोड़ निरक्षर हैं, जो विश्व के किसी देश में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या है। यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद कमज़ोर है, जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। शिक्षाधिकार अधिनियम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि इसकी कमियों को दूर कर इसे सफलतापूर्वक सारे देश में लागू किया जाए। अब समय आ गया है कि शिक्षाधिकार अधिनियम की सफलता के लिए सरकारी नियामकों, पणधारकों, शिक्षकों, गैर-सरकारी और सामाजिक संगठनों, सिविल सोसायटी, मीडिया आदि को साथ लेकर समग्र प्रयास किया जाए। आशा है कि कुछ वांछित सुधारों तथा सही क्रियान्वयन के फलस्वरूप यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर देश के विकास में योगदान दे पाएगा।

संदर्भ

अमर उजाला 2016. अगस्त 02. 'निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ संदीप पाण्डेय ने दिया धरना'. *अमर उजाला*. मुरादाबाद.

———. 2017. मई 08. 'निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख'. *अमर उजाला*. लखनऊ.

असर. 2016. *एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल)* 2016. असर, नयी दिल्ली.

कुमार, के. 2016. 'प्राइवेट स्कूलों में घुटन महसूस करते आर.टी.ई. बच्चे', *बिहार टुडे*. http://www.bihartoday.in/Private-Schoolism-Rte-children/#Respond पर ऑनलाइन देखा गया।

कुमार, पी., एस. आज़ाद और पी. सिंह 2014. 'राइट टू एजुकेशन — दि प्रेज़ेंट एंड दि फ़्यूचर'. *राइट टू एजुकेशन — चैलेंजेस एंड ओपर्च्यूनिटीज़*. वी.सी. श्रीवास्तव (संपादक), पुणे — सेंटर फ़ॉर हाइयर स्टडीस एंड रिसर्च. पेज 28–38.

जहाँ, एस. 2016. *ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ॉर एव्रिवन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम*. hrd.undp.org/sites/default/files/2016-human-development_report.pdf पर ऑनलाइन देखा गया।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया. 2017. जुलाई 24. '1000 डिनाईड एडमिशन अंडर आरटीई'. *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* नयी दिल्ली/आगरा.

न्यूपा. 2014. *एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया — वेयर डू वी स्टैंड?*. *डिस्ट्रिक रिपोर्ट कार्ड्स 2014–2015*. वॉल.II. न्यूपा, नयी दिल्ली.

भारत सरकार. 2009. *निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. नयी दिल्ली. भारत सरकार.

योजना आयोग, भारत सरकार. 2013. *बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)*, नयी दिल्ली.

——. 2011. *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)* , नयी दिल्ली.

यूनेस्को यूआईएस. 2016. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs39-the-world-needs-almost-69-million-new-teachers-to-reach-the-2030-education-goals-2016-en.pdf

संयुक्त राष्ट्र. 2003. *यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स*. http:www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ पर ऑनलाइन देखा गया।

संयोगिता. 2015. 'राइट टु एजुकेशन — एन एनालाईसीस'. *पेडागोजी ऑफ़ लर्निंग* (2) पेज 25–37.

सिंह, बी.जी. 2011. *भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारंभिक शिक्षा*. शारदा पुस्तक भवन. इलाहाबाद.

ह्यूमन राइट्स वॉच. 2014. 'दे से वी आर डर्टी'. *डीनाइिंग एन एजुकेशन टु इंडियास मार्जिनलाईज्ड*. अमेरिका. https://www.hrw.org/report/2014/04/22/they-say-were-dirty/denying-education-indias-marginalized पर ऑनलाइन देखा गया।